रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937
No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/ MAGHA 9 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

का.आ. 267(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के पैरा 3 के अनुसरण में, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3062(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(i) आरंभिक पैरा में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. श्री एस.एस.परमार, आईएएस (सेवानिवृत्त), एचआईजी काटेज नं. 2, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जाखू, शिमला, हिमाचल प्रदेश	"अध्यक्ष";

(ii) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में कोई रिक्ति होती है तो केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती की नियुक्ति करेगी, जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया था।";

(iii) पैरा 7 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में कोई रिक्ति होती है तो केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर उत्तरवर्ती की नियुक्ति करेगी, जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया था ।"।

[सं.जे-11013/15/2007-Iए.II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण—अधिसूचना सं. का.आ. 3062(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 2 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of paragraph 3 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3062(E), dated the 2nd December, 2014, namely:—

2. In the said notification,—

(i) in the opening paragraph, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1. Shri SS Parmar, IAS (Retd.) HIG Cottage No. 2, Housing Board Colony, Jakhoo, Shimla, Himachal Pradesh.	"Chairman";

(ii) after paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if a vacancy occurs in the Office of the Chairman or the Member, the Central Government shall appoint a successor who shall hold office for the remainder of the term of such Chairman or Member in whose place he was so appointed."

(iii) after paragraph 7, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if a vacancy occurs in the office of the Chairman or any Member, the Central Government shall, on the recommendation of the State Government Concerned, appoint a successor who shall hold office for the remainder of the term of such Chairman or Member in whose place he was so appointed."

[No. J-11013/ 15 / 2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:- The notification number S.O. 3062(E), dated the 2nd December, 2014 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.